न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक

(चिन्मयी गोपाल आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 349/2017
प्रविष्टि दिनांक 20—3—2017

1—पोखरलाल पुत्र श्रवण जाति जाट निवासी अमीरपुर खेड़ा तह0 व जिला—टोंक राज0
2—लादूलाल पुत्र श्रवण जाति जाट निवासी अमीरपुर खेड़ा तह0 व जिला—टोंक राज0
3—बदाम पुत्री पुत्र श्रवण जाति जाट निवासी अमीरपुर खेड़ा तह0 व जिला—टोंक राज0
.... प्रार्थीगण

बनाम

1—सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) टोंक
2—परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण,परियोजना इकाई, नेशनल हाइवे नं0 12 टोंक हाल डी—48 आरएसईबी एस स्टेकशन के पीछे वेशाली नगर जयपुर ।
3—तहसीलदार टोंक
.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित—(1) श्री पवन कुमार जैन अभिभाषक प्रार्थीगण
(2) श्री दीपक शर्मा, श्री रामधन सेनी,अभिभाषक अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 10—11—2021

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण मे ग्राम अमीरपुर खेड़ा तहसील टोंक की भूमि ख0नं0 57/1 में 1200 वर्गमीटर का मुआवजा कृषि भूमि बारानी—1 की दर से निर्धारण किया गया है। प्रार्थीगण का कथन है कि उक्त भूमि ख0नं0 57/1 में से सड़क निर्माण में नहीं गई है ख0नं0 57/2 में से गई है। अतः अवार्ड दिनांक [illegible]—2010 को निरस्त कर 1200 वर्गमीटर भूमि का मुआवजा 57/2 के खातेदारान के नाम जारी कि[illegible] के न्यायोचित आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण [illegible] एवं अवार्ड पत्रावली 1287/09 दिनांक 5.07.2010 तलब की [illegible] के अभिभाषक की बहस सु[illegible] गई तथा अप्रार्थीगण के अभिभाषकगण द्वारा जवाब व लिखित बहस पेश की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:51:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

आर्बिट्रेटर N.H.-12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र व लिखित बहस प्रस्तुत किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण हेतु प्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 57 रकबा 1200 वर्गमीटर वाके ग्राम अमीरपुर खेड़ा मे अवाप्त की गई है। अवाप्त भूमि का अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी होने के पश्चात 3 सी के अन्तर्गत प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का निस्तारण करते हुये धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो गई। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुद्वा भूमि पर स्थित (structures) का मुआवजा स्वतंत्र कन्सलटैट मैसर्स अजीत सर्वे एंव कन्सलटेन्ट्स प्रा.लि. जयपुर से प्राप्त सर्वे रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक नाप ली जाकर राज0सरकार की प्रभावी बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट (बी.सी.आर) के अनुसार मूल्यांकन कराया है,जो पूर्णतः सही व उचित है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकंलन सब रजिस्ट्रार द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। जमीन की किस्म बारानी–1 राजस्व रिकार्ड मे अंकित थी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्म्पूण तथ्यो को मध्यनजर रखते हुये अवार्ड जारी किया है तथा जिन खातेदारान की भूमि अवाप्त की गई है उनके ही नाम भूमि के मुआवजे का अवार्ड जारी किया गया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी एंव अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत जवाब व लिखित बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवार्ड पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एन0एच–12 टोंक क्षेत्र (अति0 जिला कलेक्टर टोंक) द्वारा अवार्ड सं0 1287/09 दिनांक 5.07.2010 पोखर पुत्र श्रवण 1/3, लादू पुत्र श्रवण, बदाम पुत्री श्रवण 1/6, बिलारहन व लादू पुत्र श्रवण, बदाम पुत्री श्रवण हि0 1/2 जाति जाट साकिन अमीरपुर खेड़ा के हक मे ख0नं0 57/1 मे 1200 वर्गमीटर का बारानी–1 की दर से 46504/रूपये का जारी किया गया है। प्रार्थीगण का कथन कि उक्त भूमि ख0नं0 57/1 में से सड़क निर्माण में नहीं गई है बलकि ख0नं0 57/2 में से सड़क निर्माण में गई है। किन्तु इसके सम्बन्ध में कोई सबूत दस्तावेज पेश नही किये हैं। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति, अधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि खसरा नम्बर 57/1 में से 1200 वर्गमीटर का मुआवजा राजस्व रिकार्ड अनुसार बारानी प्रथम दर से दिया गया है जो न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनाक 10–11–2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

चिन्मयी

(चिन्मयी गोपाल)
आरबीट्रेटर एन.एच.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक

आरबीट्रेटर N.H.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:51:36 IST
Reason: SelfAttested